

उत्तर प्रदेश सरकार  
नियुक्ति अनुभाग-4

संख्या- 2843/दो-4-32-2-84  
लखानऊ: दिनांक : अगस्त 26, 1987

विज्ञापित  
नियुक्ति

16

Request 139

*[Handwritten signature]*

2326

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में भर्ती हेतु प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 1985 के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उक्त सेवा में दिनांक 1-9-87 के पूर्वान्ह से अस्थाई मुंसिफ के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ नियुक्त करके उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद में तैनात किया जाता है कि उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता पहले नियुक्त किये गये अथवा बाद में नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थियों के साथ बाद में निर्धारित की जायेगी :-

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	तैनाती का जनपद
1-	सर्वश्री नीरज निगम	आगरा
2-	अल्ला रकख	गाजियाबाद
3-	विद्या शंकर पटेल। पिछडा वर्ग।	लखानऊ
4-	गोबिन्द बल्लभ	आगरा
5-	योगेश चन्द्र त्रिपाठी	इलाहाबाद
6-	कृष्ण कुमार अस्थाना	इलाहाबाद
7-	पुवीण कुमार	सहारनपुर
8-	सुधा सिंह	झांसी
9-	कु० जयश्री आहुजा	आगरा
10-	श्री प्रमोद कुमार सिंह	लखानऊ
✓ 11-	प्रमोद कुमार	इलाहाबाद
12-	कु० रेणु अग्रवाल	सहारनपुर
13-	श्री नारायण सिंह धानिक	बरेली
14-	सहदेव कुमार	सहारनपुर
15-	सुकुमार प्रसाद। पिछडा वर्ग।	गोरखपुर
16-	प्रेम मोहन सिंह। पिछडा वर्ग।	वाराणसी
17-	प्रमोद कुमार वर्मा। पिछडा वर्ग।	लखानऊ
18-	मंगल प्रसाद। पिछडा वर्ग।	वाराणसी
19-	रमेश चन्द्र खुल्से	बरेली
20-	राम नाथ दिमकर	कानपुर नगर
21-	पारस नाथ भारतीय	वाराणसी
22-	उदय सिंह	गाजियाबाद
23-	चन्द्र भाव	लखानऊ
24-	राम अघार	गोरखपुर

25-	सर्वश्री दया राम सिंह	मुरादाबाद
26-	पंकज गौड़	वाराणसी
27-	सर्वेश कुमार	बरेली
28-	अवनीशा कुमार द्विवेदी	इलाहाबाद
29-	दिनेशा चन्द्र त्रिपाठी	इलाहाबाद
30-	विजेन्द्र कुमार	गाजियाबाद
31-	शौलेन्द्र कुमार	बरेली
32-	चरन सिंह	आगरा
33-	रामानन्द	गोरखपुर
34-	रूप चन्द राम	गोरखपुर
35-	राम प्रकाश	मुरादाबाद
36-	दया राम	कानपुर नगर
37-	आनन्द सिंह	आगरा

2- इन अभ्यर्थियों में जहाँ तक क्रमांक 3, 15, 16, 17, 18 पर उल्लिखित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का संबंध है उनकी नियुक्तियां उपर्युक्त आरक्षण से संबंधित शासनादेशों के प्रति मा० उच्च न्यायालय द्वारा छोटे लाल पाण्डे इत्यादि बनाम राज्य के मामले समादेश याचिका संख्या- 2637/1978 में दिये गये निर्णय दिनांक 2 फरवरी, 1979 के विरुद्ध शासन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई स्पेशल अपील में जो लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अधीन होगी।

जे०ए०कल्याणकृष्णन  
मुख्य सचिव

सं०- 28311/दो-4-3212184 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को 50 अतिरिक्त प्रति सहित, उनके पत्र सं०- सी-1108/डी०आर०एस०/87, दिनांक 22 अगस्त, 1987 के संदर्भ में।
- 2- अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को 3050 गजट के आगामी हिन्दी एवं उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ
- 3- महालेखाकार, 3050 जी०ए०-8 अनुभाग, इलाहाबाद को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित
- 4- सचिव, लोक सेवा आयोग, 3050 इलाहाबाद को शासकीय पृष्ठानक सं०- ई-2/189/37/ई-2/84-85, दिनांक 24-2-87 के संदर्भ में।
- 5- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा / इलाहाबाद / बरेली / गाजियाबाद / गोरखपुर / झांसी / कानपुर नगर / लखनऊ / मुरादाबाद / सहारनपुर और वाराणसी
- 6- संबंधित अभ्यर्थियों को इस निर्देश सहित के वह अपनी नियुक्ति के पद का कार्यभार दिनांक 1-9-87 के पूर्वान्द में ग्रहण कर लें तथा उसकी सूचना निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व शासन के नियुक्ति अनुभाग-4 को दें।

उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि उनकी नियुक्ति मुंसिफ के पद पर अस्थाई रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की गई है कि उन्हें निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ०प्र० ए-1/19 विश्वास खंड-1 गोमती नगर लखनऊ में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा जब तक वे मुंसिफ के पद पर स्थायी रूप से नियुक्ति नहीं हो जाते वे सरकारी अधिसूचना संख्या- 20/1/75-नियुक्ति-3 दिनांक 11 जून, 1975 में दी गई शर्तों के अधीन रहेगे जो अस्थाई कर्मचारियों पर लागू हैं।

उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि ब्रे यदि वे इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं तो उसकी लिखित सूचना निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा शासन नियुक्ति अनुभाग-4 को तत्काल भेज दें।

यदि बिना समुचित कारणों के वे निर्धारित समय पर अर्थात् 1-9-87 पूर्वान्ह तक तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति का फिर कोई दावा नहीं रहेगा।

उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

- 7- न्याय सचिव एवं विधि परामर्शी उत्तर प्रदेश शासन  
8- न्याय अधीनस्थ न्यायालय, अनुभाग

आज्ञा से,


॥ मुनि लाल अवस्थी ॥  
उप सचिव



Request 13

3301  
5-62

No 53770



लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश

आवेदन-पत्र

(अभ्यर्थी अपने हाथ से सलग्न अनुदेशों के अनुसार भरे)

विज्ञापन संख्या

विभाग संख्या

आवेदन स्वीकार किए

जाने की अन्तिम तिथि

1--पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं।	उत्तर प्रदेश स्थायिक सेवा (मुन्सिपल)
2--अभ्यर्थी का नाम (क) हिन्दी में (ख) अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में)	प्रमोद कुमार PRAMOD KUMAR
3--डाक का पूरा पता जिस पर अभ्यर्थी से पत्र व्यवहार किया जा सके (पते में किसी परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा आयोग के संबंधित विभाग को भेजें।)	738, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश पिनकोड - 211003.
4--ग्राम। नगर, जिला तथा राज्य का नाम जहां का अभ्यर्थी स्थायी निवासी है।	मुट्ठीगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
5--जन्म-तिथि (इंसेवी सन् में)	15-01-1960
6--अभ्यर्थी के पिता। पति का--- (क) नाम (ख) जन्म स्थान (ग) पता (यदि मृत हों तो अन्तिम पता) (घ) क्या उन्होंने कभी अपनी राष्ट्रियता बदली ? यदि हां, तो पूरा विवरण दें।	(क) श्री मदन मोहन लाल श्रीवास्तव (ख) इलाहाबाद (ग) 738, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद, 2090 (घ) नहीं
7--क्या अभ्यर्थी तथा/अथवा अभ्यर्थी के पिता। पति जन्म तथा/अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं ? यदि नहीं तो पूरा विवरण दें और आवश्यक प्रमाण पत्र सलग्न करें।	जन्म तथा अधिवास से भारतीय नागरिक.

8---(क) क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं ? उत्तर 'हां' या 'नहीं' में दीजिए। यदि हां तो जाति, वर्ष का पूरा विवरण दें तथा निर्धारित प्रपत्र पर प्रमाण पत्र संलग्न करें। (देखें सामान्य अनुदेशों के सूचना पत्रक। का स्तम्भ)।

(ख) क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न वर्ग/जाति को आयु सीमाओं में छूट का लाभ चाहते हैं ? यदि हां तो जाति/वर्ग का पूरा विवरण दें और निर्धारित प्रपत्र पर प्रमाण संलग्न करें। (देखें सूचना पत्रक। सामान्य अनुदेशों का स्तम्भ)।

(क) हां/नहीं जहाँ

(ख) हां/नहीं जहाँ

9---(क) क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं ?

(ख) यदि हां तो क्या अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं (पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) अथवा क्या अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी एक पत्नी पहिले से ही जीवित है (महिला अभ्यर्थियों के लिए)

(क) ~~न~~ अविवक्षित

(ख)

10---सभी शैक्षिक तथा/अथवा प्राविधिक परीक्षाओं, जिनमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, तथा उन उपाधियों का पूरा विवरण :---

परीक्षा या उपाधि	विषय	श्रेणी	वर्ष	प्राप्तांक प्रतिशत	प्राप्त विज्ञिष्टता का विवरण	पदत प्रमाण-पत्र संख्या
हाई स्कूल	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित इतिहास, नागरिक शास्त्र	II	1974	46	X	168860
इंटरमीडिएट	हिन्दी, अंग्रेजी, विद्या शास्त्र, इतिहास (भाग) नागरिक शास्त्र	II	1976	45	X	103744
स्नातक POA	मनोविज्ञान अंग्रेजी साहित्य प्राचीन इतिहास	II	1978	49	X	2368
स्नातकोत्तर						
सूच्य शैक्षिक/प्राविधिक कार्य/उपाधियों का पूरा विवरण	विधि	II	1981	52	X	2147

Costs and de  
seer...  
K...  
1/10

खेलकण्ड, शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवीणता (तथा/अथवा पाठ्योत्तर कार्यों में भाग लेने का यदि कोई है) का पूरा विवरण दें तथा प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

क्रिकेट स्वम् बालीबाल रिवलाडी



Request 139 (1)

( ३ )

१२—अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों का पूर्ण विवरण नीचे दें :—कुछ नहीं

का नाम या नियुक्ति का स्वरूप	नियुक्ति का स्थान	सेवायोजक का नाम तथा पूरा विवरण	प्रवेश तिथि	छोड़ने की तिथि	वेतन तथा वेतन क्रम
------------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------	----------------	--------------------

१३—अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा वरीयान अर्हताओं से सम्बन्धित निम्न विवरण दे —

अनिवार्य	प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या	वरीयान	प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या
शिक्षाधिकारक	2147	१—	
२—		२—	
३—		३—	

14---क्या अभ्यर्थी ने---

(1) टैरीटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है ?

हां/नहीं/नहीं प्रमाण-पत्र संख्या

(2) एन0 सी0 सी0 का 'बी' साटीफिकेट प्राप्त किया है ?

हां/नहीं/नहीं प्रमाण-पत्र संख्या

15---(क) क्या अभ्यर्थी को किसी फाँजदारी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है ? यदि हाँ तो पूरा-पूरा विवरण दें ।

नहीं

(ख) क्या अभ्यर्थी कभी संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा वारित अथवा अवैध घोषित किया गया है ? यदि हाँ तो विवरण दें ।

नहीं

(ग) क्या अभ्यर्थी कभी राजकीय सेवा से पदच्युत किया गया है अथवा हटाया गया है अथवा अनिवार्यतः सेवा निवृत्त किया गया है ? यदि हाँ तो विवरण दें ।

नहीं

16---आवेदन/परीक्षा शुल्क के निमित्त जमा की गई राशि का पूरा विवरण दें :---

(क) बैंक/डाकघर का नाम

(ख) बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर

संख्या

(ग) तिथि

धनराशि

200 76/-

१७—यदि अभ्यर्थी अपने चुनाव के सम्बन्ध में आयोग की कोई विशेष अहंता/अनुभव देना चाहें जो ऊपर दिये गये स्तम्भों आया हो तो यहां या एक अलग से विवरण दें और उसे आवेदन-पत्र के साथ मत्थी कर दें।

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा :—

मैं इस बात की घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन-पत्र में जो बर्णन है, वह मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण है और यदि उसमें बयान झूठा या अशुद्ध पाया जाय तो मैं अनाश्र ठहरा दिया/दी जाऊँ और यदि गया / हो गई हूँ तो सेवा से हटा दिया/दी जाऊँ।

अभ्यर्थी का  
हस्ताक्षर

प्रमोद कुमार

पूरा नाम

प्रमोद कुमार

तथा पता

738, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद

जेलर-उद्देश

211003

\*जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

# लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश


उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (मुन्सिफ) परीक्षा, 1985

Request 139

12

03301

आवेदन-पत्र



१. रोल नम्बर

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

२. विज्ञापन सख्या

A-1/E-2-85-88

३. अभ्यर्थी का नाम

अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में

PRAMOD KUMAR

हिन्दी में

प्रमोद कुमार

४. जन्म तिथि

15-01-1960 150160

हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार, प्रमाण सहित

५. पिता/पति का नाम

श्री मदन मोहन लाल जीवास्तव

६. जाति एवं श्रेणी जिसके अन्तर्गत अभ्यर्थी

आरक्षण तथा/अथवा आयु एवं शुल्क में छूट

आदि की सुविधा चाहता है, (प्रमाण सहित)

(क) जाति X


(ख) श्रेणी (क्लास) X

७. (१) वर्तमान डाक का पता

738 मुद्दीगंज इलाहाबाद-3, 3050.

(२) स्थायी पता

738 मुद्दीगंज इलाहाबाद-3, 3050.



८. परीक्षाएं जिनमें उत्तीर्ण हुये

वर्ष

श्रेणी

बोर्ड/विश्वविद्यालय

प्रमाण सं०

१. हाई स्कूल	1974	II	3050 माठ शिठ बोर्ड	168860
२. इण्टरमीडिएट	1976	II	3050 माठ शिठ बोर्ड	103744
३. स्नातक (BA)	1978	II	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	2368
४. विधि स्नातक	1981	II	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	2147 11

९. परीक्षा केन्द्र के लिए अभिमान्यता

नाम इलाहाबाद.

१. कोड नं० 1 इलाहाबाद.

२. कोड नं० 1

१०. सामने शब्दों में लिखिये कि आप किस लिपि में लिप्यन्तरण (Transliteration) करेंगे।

(१) देवनागरी से परशियन में

(२) परशियन से देवनागरी में

(३) नं० १ या २ की पूरी इबारत अपने शब्दों में लिखिये।

परशियन से देवनागरी लिपि में 1

नोट :- इस लिप्यन्तरण (Transliteration) के कालम को बाद में भरने या इसमें परिवर्तन करने की अनुमति किसी भी दशा में नहीं दी जायेगी।

११. परीक्षा शुल्क का ब्योरा

ट्रेजरी/बैंक का नाम जिला सहित

बैंक ड्रॉप/ट्रेजरी चालान का नं० एवं दिनांक

धनराशि

कार्यालय के उपयोगार्थ स्थान

१	२	३	४	५
मेन बैंक स्टेट बैंक इलाहाबाद	6-13, 218/85	76100		1

## घोषणा

- मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में सभी सूचनाएं मेरे जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही हैं और मैं यह जानता/जानती हूँ कि उपर्युक्त सूचनाओं में कोई भी सूचना परीक्षा के पहले या बाद में असत्य या अशुद्ध पाई जाने पर मेरा अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है और मैं आयोग द्वारा वारित किया जा सकता/सकती हूँ।
- मैंने विज्ञापन में प्रकाशित सभी निर्देशों को भली भाँति एवं सावधानी से पढ़ एवं समझ लिया है और वे मुझे मान्य हैं। 11
- मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि पाठ्यता की सभी शर्तें जैसे निर्धारित आयु सीमा शैक्षिक योग्यता प्रवेश पाने के लिए पूर्ण करता/करती हूँ।
- मैंने अपने विभागाध्यक्ष को इस परीक्षा में बैठने की लिखित सूचना दे दी है।\*

स्थान इलाहाबाद.

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्त

\*लागू न हो तो काट दें।

17/7/85

\*\*हस्ताक्षर न होने पर आवेदन पत्र रद्द कर

206628

050160



Request 139

# University of Allahabad.



11

## BACHELOR OF LAWS

(THREE YEARS COURSE)

Roll No. 2147

This is to certify that Pramod Kumar .....  
Son/Daughter of Sri. M. M. L. Srivastava .....  
obtained the degree of Bachelor of Laws in the University in the Examination  
of 1981 ..... and that he/she was placed in the Second class.

Medium of Examination : Hindi/English

The Subjects in which he/she was Examined were :

Indian Legal and Constitutional History.

Law of Contracts

Law of Torts

Mohammadan Law

Constitutional Law of India

Criminal Law and Procedure

Legal Theory and Comparative Law

Hindu Law

Equity, Mortgages, Trusts and other Fiduciary Relations.

International Law

Transfer of Property Act and Assessments

Partnership Companies and Negotiable Instruments.

Civil Procedure, Pleadings Conveyancing and Arbitration

Evidence and Limitation.

Land Law.

Administrative Law

Labour Law.

Private International Law

Taxation

checked  
K.S.L.  
17/11/87

Attest  
21/11/87

9/11 CIVIL JUDGE  
ALLAHABAD  
16-1-87

University of Allahabad.

checked-off

(R.P. Mishra)  
Vice-Chancellor

The 1st June 1983

Request 139

# UNIVERSITY OF ALLAHABAD

Book No. 0447.....

Original/Duplicate

Serial No.....



10

## STATEMENT of MARKS of LL. B. III Year Examination 1981

Name Pramod Kumar.....

Roll No. 2147.....

Subject	Max. Marks	Mini. Marks				Marks Obtained	Remark
Civil procedure pleading Conveyancing and Arbitration	100	36				50	/
Evidence and Limitation	100	36				60	/
Land Law	100	36				48	/
Administrative Law	100	36				45	/
Labour Law	100	36				41	/
Private International Law	100	36					/
Taxation	100	36					/
<i>passed &amp; sealed</i>							
Total of LL. B. IIIrd year						244	100
Total of LL. B. Ist year						338	600
Total of LL. B. IIInd year						303	600
Grand Total						885	1700

*passed & sealed*  
*17/11/87*

Dated 11/11/83

(Prepared by) *[Signature]*

SENATE HOUSE

*[Signature]*

*[Signature]*

Allahabad

(Checked by) Full Signature

Registrar

*[Signature]*  
CIVIL JUDGE

**ALLAHABAD**

16-1-07

*[Signature]*

Reg No 139 (9)

# UNIVERSITY OF ALLAHABAD



## Bachelor Of Arts

Roll No 2368

This is to certify that Pramod Kumar ~~.....~~  
E.C. College ✓

Son / Daughter of Shri Madan Mohan Lal Srivastava.....

obtained the degree of BACHELOR OF Arts in the University in the  
Examination of 1978 and that he was placed  
the Second..... Class.

The Subject in which he was examined were  
Compulsory English English Literature, Ancient History,  
Culture & Archaeology and Psychology.....

He/she also passed in General English in the Third  
class.

UNIVERSITY OF  
ALLAHABAD

Dated. 10 Oct.....1979.

(श्री श्री उज्ज्वल)  
Vice Chancellor

Checked  
17/11/87

TRUE COPY  
Attested

16/1/27  
CIVIL JUDGE  
ALLAHABAD

16-1-87

checked



Report 139

# University of Allahabad

No. 2368

Original Duplicate



8

## STATEMENT OF MARKS B. A. PART II EXAMINATION 1978

Name. Pramod Kumar

Roll No. 2368

Subject and paper	Max. Marks	Min. Marks	Marks Obtained			Total	Remarks
			Ist Paper	2nd Paper	3rd Paper		
English Literature	150	50	19	20	17	56	
Sanskrit/Arabic/Persian	150	50					
Hindi/Urdu	150	50					
Mathematics	150	50					
Philosophy	150	50					
Economics	150	50					
Education	150	50					
Politics	150	50					
Sociology	150	50					
Med/Mod/Ancient History	150	50	40	47		87	
Painting Practical Gr. A	35	25					
Gr. B		40					
Phy. Theory	100	33	15	33		48	
Practical	50	17				25	
Theory	100	-					
Credit of G. English Practical	50	17				4	
Marks of B. A. Part II	450	150				220	
Total of Marks of B. A. I	450	150				222	
Grand Total	900	300				442	

Result-Passed In II Class/Failed

### GENERAL ENGLISH

Marks of B. A. Part II	120	40	07	16	20	43	
Marks of B. A. Part I	80	27				28	
Grand Total	200	67				71	

Result III Class/Failed

60% I Class / 45% II Class / 33% III Class - Candidates must pass in theory and Practical Separately

SENATE HOUSE Allahabad

Illegible  
(Prepared by)

Illegible  
(Checked by)

Full Signature

Illegible

Illegible  
18/1/87

Illegible  
Assistant Registrar  
(Admin.)

CIVIL JUDGE  
ALLAHABAD

16-1-87

checked

Checked by  
17/1/87  
THE. 12.13.179

Request 139

संक्रमांक - 233622

TRUE COPY

कम संख्या

103744

# माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश

(7)



## इण्टरमीडिएट परीक्षा १९७६

प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षार्थी, जिसका अभिलेखानुसार विवरण निम्नवत है मार्च/अप्रैल १९७६की इण्टरमीडिएट परीक्षा ~~द्वितीय~~ श्रेणी में उत्तीर्ण की है और ~~.....~~ में विशेष योग्यता प्राप्त की है

नाम अमोद कुमार

पिता का नाम श्री अदन मोहन लाल श्रीवास्तव

विद्यालय/केन्द्र/का नाम डा० के० पी० जामुनराव लाल इण्टरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद

परीक्षा विषय :-

१-हिन्दी साहित्यिक

२- दार्शनिक शास्त्र

इतिहास (भारतीय)

३- शिक्षा शास्त्र

४- उर्दू

*Cher...*  
*W.S. C...*

दिनांक 17/1/76  
इलाहाबाद  
प्रमाणित प्रतिलिपि  
*Attest...*

हस्ताक्षर

शुभचन्द्राप्रियं  
(सचिव)

*M* CIVIL JUDGE  
ALLAHABAD  
16-1-76  
*Cher...*

इन्टरमीडिएट परीक्षा १९७६, (6)

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

संख्या ११

दिनांक १-७-७६

संस्थागत व्यक्तिगत परीक्षार्थी प्रमोद कुमार  
तथा परिषद की इन्टरमीडिएट की परीक्षा, १९७६

अनुक्रमांक 232622  
में प्राप्तांकों का विवरण-पत्र

परीक्षार्थी द्वारा लिये गये विषय	अङ्क	वाणिज्य प्रथम										वाणिज्य द्वितीय					विषय योग					
		प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	तृतीय प्रश्न-पत्र	अनुयोग	क्रियात्मक		टंकण		आशुलिपि हिन्दी/अङ्ग्रेजी		टंकण हिन्दी/अङ्ग्रेजी		विषय योग								
						क्रियात्मक	आशुलिपि हिन्दी/अङ्ग्रेजी	सिद्धान्त	क्रियात्मक	प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	अनुयोग	प्रथम प्रश्न-पत्र		द्वितीय प्रश्न-पत्र	तृतीय प्रश्न-पत्र		चतुर्थ प्रश्न-पत्र	अनुयोग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०			
सहि. १००	१००	१२	१२	१७																	४३	
नागो १००	१००	२०	२१																			४१
अङ्ग्रेजी १००	१००	१०	११	१६																		३७
शिक्षाशा १००	१००	२६	२२																			४८
सि. भा. १००	१००	२३	२२																			४५

64 Marks Affest  
 16/1/87  
 CIVIL JUDGE  
 ALLAHABAD  
 16-1-87

सम्पूर्ण प्राप्तांक शब्दों तथा अङ्कों में 224 ( दो सौ पचास )

श्रेणी	कृपांक	विशेष योग्यता	यदि सम्मान सहित उत्तीर्ण है तो यहाँ उल्लेख कीजिये	क्या पूरक परीक्षा का अधिकारी है यदि हाँ, तो विषय	क्या बिना शुल्क अङ्कानुसंधान अधिकारी है
प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फेल द्वितीय					

क-प्राप्तांक के आधार पर परीक्षाफल का निर्णय एक हुआ है अथवा नहीं इसकी जांच परीक्षार्थी नीचे दिये विषयों के आधार पर स्वयं भी कर लें और यदि कोई त्रुटि हो तो प्रधानाचार्य केन्द्र व्यवस्थापक से तुरन्त सम्पर्क स्थापित करके उसका निराकरण कर लें अन्यथा भूल सुधार में विलम्ब हो सकता है जो परीक्षार्थी के लिए अहितकर होगा। परिषद कार्यालय में जांच के फलस्वरूप यदि कोई त्रुटि पाई जायगी तो उसकी सूचना तुरन्त ही प्रधानाचार्य केन्द्र व्यवस्थापक को दी जायगी और वे सम्बन्धित परीक्षार्थी को इसकी सूचना देंगे।

परीक्षाफल सम्बन्धी विषय

- प्रत्येक विषय के न्यूनतम उत्तीर्णांक ३३ प्रतिशत है। जिन विषयों में क्रियात्मक परीक्षा होती है उसमें लिखित- तथा क्रियात्मक परीक्षा के लिये अलग-अलग न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित हैं।
- उत्तीर्ण होने के लिये निर्धारित न्यूनतम अङ्क से कम अङ्क नहीं होने चाहिये। निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्रम होन पर प्राप्तांक वत्त के भीतर किये जाते हैं।
- किसी विषय में ७३ प्रतिशत अङ्क पाने पर विशेष योग्यता मिलती है, सम्पूर्ण योग का ७५ प्रतिशत प्राप्तांक होने पर इस्ताव सहित उत्तीर्ण होता है।
- प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिये प्राप्तांक यदि सम्पूर्ण निर्धारित अङ्कों का क्रमशः ६०, ४५ एवं पूरक ३३ प्रतिशत होना चाहिये।
- यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा वह केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है तो वह उस विषय में पूरक परीक्षा का अधिकारी होगा।

बनाने वाले का हस्ताक्षर.....  
 जांचकर्ता के हस्ताक्षर.....

10/20/2001  
 प्रधानाचार्य  
 5022 मी 5022 का  
 इलाहाबाद



पूरक परीक्षा के योग्य घोषित होने वाले सभी परीक्षार्थी स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी नहीं होंगे अगर परीक्षार्थी को केवल एक विषय से २० प्रतिशत अथवा उससे अधिक अङ्क प्राप्त करने पर अनुत्तीर्ण घोषित किये गये हैं वे पूरक परीक्षा के अधिकारी घोषित होने के साथ ही साथ स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी होंगे। उनकी उत्तर पुस्तको का अङ्कानुसंधान निशुल्क होगा।

### आवश्यक सूचना

- १-केवल एक विषय में अधिक से अधिक ५ प्रतिशत अङ्क से अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को उत्तर-पुस्तकों का अङ्कानुसंधान निशुल्क किया जायगा।
- २ परीक्षार्थी निःशुल्क अङ्कानुसंधान के अधिकारी नहीं हैं, वे यदि चाहें तो उत्तर-पुस्तकों का अङ्कानुसंधान शुल्क देकर करा सकते हैं। इसके लिये वे सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा केन्द्र-व्यवस्थापक से निर्धारित आवेदन पत्र लेकर शुल्क के दर्जरी चालान सहित १५ जुलाई, १९६६ तक परिषद कार्यालय में भेजें, उक्त तिथि के पश्चात् ऐसे आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायगा। यदि अङ्कानुसंधान के लिये निर्धारित आवेदन पत्र उपलब्ध न हो सके तो सादे कागज पर ही अपना पूरा विवरण देते हुए निर्धारित शुल्क के चालान के साथ १५ जुलाई १९६६ तक प्रार्थना पत्र भेज देना चाहिये।
- ३-अङ्कानुसंधान के फलस्वरूप यदि किसी परीक्षार्थी का परीक्षाफल प्रभावित होता है, तो उसकी सूचना यथासमय सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा केन्द्र व्यवस्थापक को प्रेषित की जाती है जिससे वे तुरन्त सम्बन्धित परीक्षार्थी को परिश्रम को सूचना दे सकें। शुल्क देकर अङ्कानुसंधान कराने वाले परीक्षार्थियों के परीक्षाफल में यदि कई परिवर्तन न हुआ तो इसकी सूचना उन्हें उनकी उत्तर पुस्तकों का परिनिरीक्षण ३० सितम्बर, १९६६ के अन्त तक हो जाने के बाद ही भेजी जायगी। इस बीच कोई पत्र व्यवहार परिषद कार्यालय से न करें। क्योंकि इस सम्बन्ध में उन्हें कोई उत्तर देना सम्भव न हो सकेगा।
- ४-अङ्कानुसंधान में अधिक समय लगने की सम्भावना है अतः सम्बन्धित परीक्षार्थी उसके परिणाम के लिये प्रतीक्षा न करें। यदि वे संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययन करना चाहते हैं तो सम्बन्धित विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लें। अथवा पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के अधिकारी हैं तो उनमें सम्मिलित की जाय। यदि व्यक्तिगत रूप से आगामी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहें तो निर्धारित तिथि तक परीक्षा केन्द्र पर अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दें।
- ५-पत्र अङ्क को द्वितीय प्रतिलिपि व्यक्तिगत परीक्षार्थी को एक रुपया पैसा शुल्क देने पर तथा संस्थागत परीक्षार्थी को एक रुपया पैसा देने पर परिषद कार्यालय द्वारा प्रसार को जाती है। यह शुल्क उत्तर प्रदेश सरकारो कोषागार में "७७ एजुकेशन" के मद् में जमा कर मूल कोष-पत्र को आवेदन पत्र के साथ दे एक बार जमा की हुई अथवा निर्धारित शुल्क से अधिक जमा की हुई धनराशि लौटाई नहीं जायगी।
- ६-वे परीक्षार्थी जो प्रथम प्रयास में ५० प्रतिशत प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए हैं राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति (National Loan Scholarship) के अधिकारी हैं, यदि उनके माता-पिता को सत वर्ष वार्षिक आय ६,००० से अधिक नहीं है इसके लिए निर्धारित आवेदन पत्र पर एवं नियमावली को प्रतियां सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त की जा सकती है तथा कथित आवेदन-पत्र शिक्षा निदेशक कार्यालय एक (३) विभाग को परीक्षाफल घोषित होने अथवा उक्त योजना का समाचार-पत्रों में प्रकाशित और आकाशवाणी द्वारा प्रसारित होने अथवा परीक्षाफल घोषित होने के (जो भी बाद में हो) ३० दिन के भीतर पहुँचाना आवश्यक है।
- ७-छात्र वृत्ति प्रदान करने का कार्य शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा उत्पादित होता है। अतः उस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार सचिव माध्यमिक शिक्षा परिशिक्षा से कदापि न किया जाय।

Request 135

क्र.सं. संख्या -

● अनुक्रमिक ४५२२९६

TRUE COPY

168860

(5)

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश



### हाई स्कूल परीक्षा १९७४

प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षार्थी, जिसका अभिलेखानुसार विवरण निम्नवत् है  
 वे माचं/अप्रैल १९७४ हाई स्कूल की परीक्षा... द्वितीय... श्रेणी से उत्तीर्ण की है  
 और... विशेष योग्यता प्राप्त की है

नाम मोहद कुमार  
 पिता का नाम श्री गदन मोहन लाल जीवास्त्व  
 जन्म-तिथि पन्द्रह जनवरी उन्नीस सौ साठ (१५-१-१९६०)  
 विद्यालय/केन्द्र का नाम डा. के. पी. जयसवाल इन्टरमीडिएट  
 परीक्षा—विषय:— कालेज इलाहाबाद

१-हिन्दी	४ <u>इतिहास</u>
२-गणित गृह-विज्ञान	५ <u>उद्योग</u>
३-नागरिक शास्त्र	६ <u>X</u>

इलाहाबाद  
 दिनांक १६/११/७४  
 प्रमाणित प्रतिलिपि

हस्ताक्षर  
रघुनन्दन मिश्र  
 सचिव

Chander  
K.S.C.  
17/11/87

92 CIVIL JUDGE  
 ALLAHABAD  
 16-1-87





- ६—जो परोक्षार्थी प्रक परीक्षा के अधिकारी होते हुए भी स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी न हों तथा परिच्छेद ( ५ ) में उल्लिखित परीक्षार्थियों की श्रेणी में नहीं आते, वे यदि चाहें तो शुल्क देकर अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं का परिनिरीक्षण करा सकते हैं। इसके लिए वे सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा केन्द्र-व्यवस्थापक के निर्धारित आवेदन-पत्र लेकर तथा उसकी पूर्ति करके निर्धारित शुल्क को टूजरी चालान सहित परिषद् कार्यालय में भेजें। परिनिरीक्षण आवेदन-पत्र इस कार्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि १५ अगस्त, १९ है। उक्त तिथि के पश्चात् ऐसे आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायगा। यदि परिनिरीक्षण के लिये निर्धारित आवेदन-पत्र उपलब्ध न हो सके, तो सादे कागज पर ही अपना पूरा विवरण देते हुए निर्धारित शुल्क के चालान के साथ प्रार्थना-पत्र अवश्य भेज देना चाहिये जिससे वह निर्धारित तिथि के अन्दर ही इस कार्यालय में प्राप्त हो जाय।
- ७—परिनिरीक्षण के फलस्वरूप यदि किसी परीक्षार्थी का परीक्षाफल प्रभावित होता है, तो उसकी सूचना तथासमय सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा केन्द्र व्यवस्थापक को प्रेषित की जाती है जिससे वे तुरन्त सम्बन्धित परीक्षार्थी की परिवर्तन की सूचना दे सकें। शुल्क देकर परिनिरीक्षण कराने वाले परीक्षार्थियों के परीक्षाफल में यदि कोई परिवर्तन हुआ तो समस्त उत्तर-पुस्तिकाओं का परिनिरीक्षण ३० सितम्बर, १९ के अन्त तक हो जाने के बाद ही इसकी सूचना उन्हें भेजी जायगी। इस बीच कोई पत्र-व्यवहार इस कार्यालय से न करें, क्योंकि इस सम्बन्ध में उन्हें कोई उत्तर देना सम्भव न हो सकेगा।
- ८—परिनिरीक्षण में अधिक समय लगने की सम्भावना है, अतः सम्बन्धित परीक्षार्थी उदके परिणाम के लिए प्रतीक्षा न करें। यदि वे संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययन करना चाहते हैं तो सम्बन्धित विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लें, पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के अधिकारी हैं तो उसमें सम्मिलित हो जायें और यदि व्यक्तिगत रूप से आगामी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहें तो उसके लिए निर्धारित तिथि तक परीक्षा केन्द्र पर अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दें।
- ९—अंक-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि व्यक्तिगत परीक्षार्थी को दो रुपया पचास पैसा शुल्क देने पर तथा संस्थागत परीक्षार्थी को एक रुपया पचास पैसा देने पर इस कार्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। यह शुल्क उत्तर प्रदेश के राजकोष में "७८-शिक्षा-ब-माध्यमिक शिक्षा-१-ट्यूशन एवं अन्य शुल्क २-बोर्ड को परीक्षार्थी "एजुकेशन" के मद में जमाकर मूल कोष-पत्र को आवेदन-पत्र के साथ भेजें। एक बार जमा की गई राशि लौटाई नहीं जायगी।
- १०—वे परीक्षार्थी जो प्रथम प्रयास में ५० प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए हैं और जिनके माता-पिता को गतवर्ष जो वार्षिक आय ६,००० रु० से अधिक नहीं है, राष्ट्रीय श्रृण छात्रवृत्ति ( National Lone Scholarship) के अधिकारी हो सकते हैं। इसके लिए निर्धारित आवेदन-पत्र एवं नियमावली की प्रतियां सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त की जा सकती है तथा कथित आवेदन-पत्र शिक्षा निदेशक कार्यालय, एफ (३) विभाग का परीक्षाफल घोषित होना अथवा उक्त योजना के समाचार पत्रों में प्रकाशित और आकाशवाणी द्वारा प्रसारित होने के (जो भी बाद में हो) ३० दिन के भीतर पहुंचाना आवश्यक है।
- ११—छात्रवृत्ति प्रदान करने का कार्य शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संपादित होगा। अतः इस सम्बन्ध में पत्र व्योहार सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद से कदापि न किया जाय।
- नोट-१—विषय अथवा किसी विषय के अंश में जिसमें न्यूनांक निर्धारित है तथा सम्पूर्ण प्रप्तांको के निर्धारित न्यूनतम से कम दोनों पर उस प्रप्तांको को वृत्ति के भीतर किवा गया है।
- २—उपर्यक्त नियमों के अनुसार सम्बन्धित परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित किया गया है। प्रप्तांक विवरण प्राप्त होने पर यदि उन्हें परीक्षाफल में कोई त्रुटि ज्ञात हो, तो तुरन्त ही विद्यालय के प्रधानाचार्य/केन्द्र-व्यवस्थापक महोदय से सम्पर्क स्थापित कर उसका निष्करण करा लें। परिषद में की गई जांच के फलस्वरूप, यदि कोई ऐसी त्रुटि ज्ञात होगी तो उसकी सूचना तुरन्त ही प्रधानाचार्य, केन्द्र-व्यवस्थापक को दे दी जायगी और वे तथासमय सम्बन्धित परीक्षार्थी को उसकी सूचना देंगे।

Illegible  
निरीक्षणकर्ता

( २० १० २०११ )

प्रधानाचार्य

३१० के १० जम्हारा

३१० के १०

३१०

डा० के० पी० जायराबाल इंटरमीडिएट कॉलेज, इलाहाबाद  
क्रोडा व खेलकूद प्रमाण पत्र

Request 139 (3)

क्रमांक . . . . 7

दिनांक 20-12-1978

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रमोद कुमार

पुत्र श्री मदन मोहन लाल जीवास्तव, ने जो इस विद्यालय का  
... १९६६ से १९७६ तक एक वास्तविक छात्र रहा है,  
उपरोक्त शिक्षा काल में इस संस्था के खेल-कूद स्वयं  
क्रोडा में सक्रिय भाग लिया है और एल्लेगाल स्वयं  
क्रिकेट ... में दक्षता प्रदर्शित की है।

छात्र मैदान में पूर्ण अनुशासित था और क्रिकेट  
खेल का उदीयमान खिलाड़ी है।

हम जीवन में उसकी सफलता को कामना करते हैं।

(सी०एच०एच०एच०)

प्रधानाचार्य

(सी०एच०एच०एच०)  
क्रोडाध्यक्ष

डा० के० पी० जायराबाल इंटरमीडिएट कॉलेज, इलाहाबाद

checked  
15/1/79

Attest

CIVIL JUDGE  
ALLAHABAD

16-1-79

checked - f

Request 139

(2)

प्रमाणीकरण प्रपत्र  
ATTESTATION FORM

वैधानिकी :-

(१) इस प्रपत्र में कोई झूठी सूचना देना या किसी तथ्यपूर्ण सूचना को छिपाना अनर्हता (Disqualification) समझी जायगी और इससे उम्मीदवार सरकार के मातहत नौकरी के लिए अनुपयुक्त (unfit) समझा जा सकता है।

(२) यदि उम्मीदवार इस प्रपत्र को भरने तथा प्रस्तुत करने के बाद निरुद्ध (Detained), सिद्धदोष (Convicted), वारित (Debarred) आदि किया जाय, तो उसके ध्योरे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सूचित किये जाने चाहिए। ऐसा न करने पर यह समझा जायगा कि तथ्यपूर्ण सूचना छिपाई गई है।

- १—पूरा नाम उपनामों के साथ, यदि कोई हो प्रमोद कुमार  
 २—पिता का पूरा नाम, उपनामों के साथ, यदि कोई हो, तथा सेवा का पद-  
 नाम यदि कोई हो श्री मदन मोहन लाल श्रीवास्तव  
 ३—निम्नलिखित की राष्ट्रीयता--

पिता भारतीय माता भारतीय

पति X पत्नी X

निम्नलिखित का जन्म स्थान--  
 पति X पत्नी X

४—घर का पूरा पता— 738 मुट्ठीगंज इलाहाबाद 3050  
 (अर्थात् गांव, थ ना तथा जिला/सड़क, मार्ग या गली, मकान नं० सहित)-----

यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश में पता तथा भारत में प्रव्रजन (Migration) करने की तारीख यहां दी जाय

५—वर्तमान पूरा पता 738 मुट्ठीगंज इलाहाबाद 3050

६—पिछले पांच वर्षों के पते 738 मुट्ठीगंज इलाहाबाद 3050

७—आयु तथा जन्म की तारीख (यदि उम्मीदवार मेट्रिक्यूलेट हो तो उसकी मेट्रिक्यूलेशन के समय की आयु दी जाय) 15-01-1960

८—शैक्षिक अर्हताएँ, जिसमें उम्मीदवार को १५ वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और साथ में स्कूलों तथा कालेजों में व्यतीत किये गये वर्ष दिये जाय :-

स्कूल/कालेज का नाम, पूरे पते के साथ	प्रवेश का दिनांक	छोड़ने का दिनांक	परीक्षा जो पास की हो
510 के० पी० जायसवाल इण्टर कालेज, इलाहाबाद	1969	1976	इण्टर
युइंग क्विड्रियन कालेज इलाहाबाद	1976	1979	बी० ए०
डी०एम०पी० डिग्री कालेज इलाहाबाद	1979	1983	इल० एल० बी०



९—कार्यालय या फर्म के, यदि कोई हो, पूर्ण विवरण तथा पते जहाँ उम्मीदवार ने पहले काम किया हो या जहाँ वह इस समय काम कर रहा हो—

पद का नाम, जिस पर काम किया हो या कर रहा हो अथवा कार्य का विवरण	अवधि		कार्यालय, फर्म या संस्था का पूरा पता	पिछली नौकरी छोड़ने के पूरे कारण
	से	तक		

१०—इलाके के ऐसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम या ऐसे व्यक्तियों का हवाला जो उम्मीदवार को जानते हैं श्री कृष्ण लाल, श्री सुनील उपाध्याय, श्री अवध शंकर तिवारी 744, मुन्डीबाज

११—(क) क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित (Prosecuted), निरुद्ध (Kept in detention), अथवा आबद्ध (Bound), अर्थ-दण्डित (Fined), दोषसिद्ध किये गये या किसी लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा चयनों में सम्मिलित होने के लिये वारित/अनर्ह किये गये या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकारी/संस्था द्वारा कोई परीक्षा देने के लिये वारित या बहिष्कृत (रिस्ट्रिकेट) किये गये? नहीं

(ख) क्या इस प्रमाणोक्ति प्रपत्र को भरते समय आपके खिलाफ न्यायालय, विश्व-विद्यालय या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकारी/संस्था के समक्ष कोई वाद विचाराधीन है? नहीं

यदि (क) या (ख) का जवाब हाँ है, तो वाद, गिरफ्तारी, निरोध, अर्थ-दण्ड, दोषसिद्ध, दण्डादेश आदि का पूरा विवरण तथा इस प्रपत्र को भरते समय न्यायालय/विश्वविद्यालय/शिक्षा प्राधिकारी आदि के समक्ष विचाराधीन वाद का प्रकार दिया जाय

(कृपया प्रमाणीकरण प्रपत्र के शीर्षक पर चेतावनी भी देखें)

(प्रमाण-पत्र, जिस पर उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है ऊपर दी गई सूचना सही और पूर्ण है। मैं ऐसी किन्हीं परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जो सरकार के मातहत किसी नौकरी के वास्ते मेरी उपयुक्तता को कम कर सकते हैं।

तारीख— 16-1-1987

स्थान— इलाहाबाद

सुनील कुमार  
उम्मीदवार के हस्ताक्षर।

पी० ए० यू० पी०— 38 लो० से० आ०—10-11-82—2,00,000 (हिन्दी)।